न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

...19/2022
...सीएमएस : 2022/104

1. गोपीराम पुत्र श्री रामूराम जाति मेघवाल साकिन 28 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। (मृतक)
   1/1. भागीदेवी पत्नी स्व. श्री गोपीराम
   1/2. हनुमान पुत्र स्व. श्री गोपीराम
   1/3. सतपाल पुत्र स्व. श्री गोपीराम
   1/4. हजारीराम पुत्र स्व. श्री गोपीराम
   } जातियान मेघवाल निवासीगण 28 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. देवीलाल पुत्र श्री लालचन्द जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादीगण

बनाम

1. हंसराज पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. रामकुमार पुत्र श्री बुधराम जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. काशीराम पुत्र श्री रामूराम जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. श्रवणराम पुत्र श्री रामूराम जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
5. पृथ्वीराज पुत्र श्री रामूराम जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। (मृतक)
   5/1. सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री पृथ्वीराज
   5/2. बनवारी लाल पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज
   5/3. राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज
   } जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
   5/4. निर्मला देवी पुत्री स्व. श्री पृथ्वीराज पत्नी श्री धनराज जाति मेघवाल साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
   5/5. कमलादेवी पुत्री स्व. श्री पृथ्वीराज पत्नी श्री हनुमान जाति मेघवाल साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. पूनम पुत्री श्री मोमनराम पत्नी श्री सुभाष जाति मेघवाल साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

8. ओमप्रकाश पुत्र श्री लालचन्द जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
9. सरस्वती देवी पुत्री श्री लालचन्द पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन चोहिलांवाली (2 सी) तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.।
10. सावित्री देवी पुत्री श्री लालचन्द्र पत्नी श्री प्रभुराम जाति मेघवाल साकिन पूनियांवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राज.।
11. सोपारी देवी पत्नी श्री लालचन्द जाति मेघवाल साकिन 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 17.05.2016

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री गुरप्रताप सिंह अधि. वादीगण।
2. श्री सचिन कुमार अधि. प्रति. 3 ता 4, 5/1 ता 5/5, 6।
3. श्री सुभाष चन्द्र अधि. प्रति. 2।
4. श्री प्रवेश कुमार अधि. प्रति. 8—10।
5. एकपक्षीय कार्यवाही प्रति. सं. 1—8—11।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

-: **निर्णय** :-

दिनांक : 19.09.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी सं. 2076–2079 वाके चक 32 एम.एल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 9/21 में पत्थर न 129/296 मुरब्बा नं. 5 के कि.नं. 11/2 की कुल खाता योग 0.139 है. नहरी मय खाता खातेदारी में वादी गोपीराम का 23/139 हिस्सा अर्थात 0.023 है., वादी देवी लाल का 4/139 हिस्सा अर्थात 0.004 है., तरतीबी प्रतिवादी ओमप्रकाश का 5/139 हिस्सा अर्थात 0.005 है., तरतीबी प्रतिवादीया सरस्वती देवी का 4/139 हिस्सा अर्थात 0.004 है, तरतीबी प्रतिवादीगण सावित्री देवी–सोपारीदेवी प्रत्येक 5/139–5/139 हिस्सा अर्थात 0.005–0.005 है. (वादी देवीलाल व उक्त चारो तरतीबी प्रतिवादीगण का कुल 0.023 है.), प्रतिवादी हंसराज का 22/139 हिस्सा, प्रतिवादी रामकुमार का 8/139 हिस्सा, प्रतिवादी काशीराम राम का 9/139 हिस्सा, प्रतिवादी श्रवणराम का 23/139 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 5/1 ता 5/5 के पति/पिता पृथ्वीराज का 23/139 हिस्सा खातेदारी है। विवादित रकबा का पक्षकारान के मध्य संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहने एवं लगान–कर आदि की अदायगी को लेकर व अन्य छोटी–छोटी बातों को लेकर हमेशा झगड़े व विवाद का भय बने रहने एवं भूमि मे अपनी सुविधानुसार डिग्गी निर्माण, विद्युत कनेक्शन, सौर उर्जा लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही वा अनुदान–किसान केडिट कार्ड–ऋण इत्यादि लेने में दिक्कते आने एवं भूमि का समुचित सुधार व उत्पादन वृद्धि में रूकावट आने आदि समस्त हालात एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये कुछ अरसा पूर्व काश्त, रास्ता, भूमि की किस्म एवं भूमि एकजोई कर काश्त को मध्यनजर रखते अपने–अपने भाग अनुसार घरेलू तोर से बाहमी बंटवारानांमा निम्नप्रकार से कर रखा है:– (क) वादी गोपीराम के कुल 0.023 है. अनुसार रकबा में से वाके चक 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 129/296 मु.नं. 5 के कि.नं. 11/2 की 0.023 है. दक्षिणी पासा (कि.नं. 20 की सीमा से 14 फुट चोड़ी जगह छोड़कर पक्की सड़क से सटते) खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्राप्त हुआ, जिस पर तब से वर्तमान तक वादी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है ओर जिसे अपनी मानते हुए काफी भारी राशि खर्च कर व शारीरिक मेहनत लगाकर सुधारा व विकसित किया है। (ख) वादी देवी के कुल 0.004 है. तरतीबी प्रतिवादीगण ओपप्रकाश के 0.005 है, सरस्वतीदेवी के 0.004 है., सावित्री देवी के 0.005 है. व सोपारी देवी के 0.005 है. पांचों का कुल 0.023 है. हिस्सा अनुसार विवादित रकबा में से वाके चक 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 129/296 मु.नं. 5 के कि.नं. 11/2 की 0.023 है. उतरी पासा (कि.नं. 10 व पक्की सड़क से सटते) खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्राप्त हुआ, जिस पर तब से वर्तमान तक वादी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है ओर जिसे अपनी मानते हुये काफी भारी खर्च कर व शारीरिक मेहनत लगाकर सुधारा व विकसित किया है। (ग) कि शेष रकबा प्रतिवादीगण को उनके भाग अनुसार प्राप्त होकर उनके कब्जा काश्त में चला आ रहा है। वादीगण खातेदार टिनेन्ट होने से घरेलु बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार विधिक बंटवारा करवा अपना खाता सहखातेदारान से अलग करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवा पाने के विधिक अधिकारी होने से वादीगण प्रतिवादीगण से अनुरोध करते रहे कि वे विवादित रकबा का घरेलू बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवा खाता विभाजन करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तो वे प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 25.01.2022 को बमुकाम 32 एम.एल तहसील रायसिंहनगर में यह कह कर इन्कार हो गये कि उन्हे जरूरत नही है आपको है तो करवा लों यही तारीख पैदा होने बिनाय दावा बिनाये मुखास्मत है वादीगण के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 7 भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 8 ता 11 दौरान वाद उपलब्ध न होने से उन्हे तरतीबी प्रतिवादीगण के तोर पर पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, मगर वे जब चाहे प्रतिवादी से वादी की श्रेणी में आ सकते है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश [illegible] वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवा[illegible] नि[illegible]कार से डिक्री सादिर फरमाया जावे कि वाके चक 32 एम.एल. तहसील रायसिंहन[illegible] संयुक्त खाता संख्या 9/21 में पं.नं. 129/296 मु.नं. 5 के कि.नं. 11/2 की कुल [illegible] योग 0.139 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के भाग अनुसार उनके मध्य हुये घरेलू बाहमी बंटवारा, जो वाद की मद नं. 3 की उपमद [illegible] व (ख) में दर्ज है, अनुसार चले आ रहे कब्जा काश्त को स्वीकार करते हुये विधिक बंटवारा व खाता विभाजन की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जावे व मुताबिक डिक्री बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

व खाता विभाजन लगान–कर अलग–अलग मुकर्र करने व राजस्व अभिलेखों में तदनुसार अमलदरामद करने के आदेश दिये जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4, 5/1 ता 5/5, 6 की तरफ से श्री सतिशकुमार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रति. सं. 6–10 की तरफ से प्रवेशकुमार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2–6 की तरफ से सुभाषचन्द्र अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वदीगण व प्रतिवादीगण के कथन अनुसार जवाब दावा पेश न कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रायसिंहनगर से मगवाने हेतु कथन किया। जिस पर प्रतिवादीगण का जवाब दावा वंद किया।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण के कथनों पर विश्वास करते हुए विवादग्रस्त भूमि मुताबिक जमाबन्दी सं. 2076–2079 चाक चक 32 एम. एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 9/21 में पत्थर न. 129/296 मुरब्बा नं. 5 की कुल 0.139 है. नहरी कृषि भूमि का कब्जा काश्ता व हक एवं हिस्सा की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः राजस्व/2025/739 दिनांक 03.06.2025 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांकः भू.–अ. /2025/4386 दिनांक 14.07.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 32 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 9/21 में पत्थर नं. 129/296 मुरब्बा नं. 5 की कुल 0.139 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. ओमप्रकाश–देवीलाल–सरस्वती देवी–सावित्री देवी पुत्रियां लालचन्द, सोपारी देवी पत्नी लालचन्द बहिब जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.021 है. नहरी भूमि।
2. श्रवणराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प. नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.021 है. नहरी भूमि।
3. सावित्री देवी पत्नी पृथ्वीराज, बनवारीलाल, राजेशकुमार, निर्मला, कमलादेवी पिसरान पृथ्वीराज चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.021 है. नहरी भूमि।
4. काशीराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.007 है. नहरी भूमि।
5. हंसराज 0.021 है., रामकुमार 0.0075 है. पि. बुधराम पूनम पुत्री मोमनराम 0.0075 है. जाति मेघवाल साकिन देहखातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.036 है. नहरी भूमि।
6. सतपाल, हजारीराम, हनुमान पि. गोपीराम भागी देवी पत्नी गोपीरांम बहिब जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.021 है. नहरी भूमि।
7. श्रवणराम 1/6 हि., काशीराम 1/6 हि. सतपाल, हजारीराम पि. गोपीराम, भागीदेवी पत्नी गोपीराम हर चार बहिब 1/6 हि, ओमप्रकाश, देवीलाल, सरस्वती देवी, सावित्री देवी पि. लालचन्द, सोपारी देवी पत्नी लालचन्द हर पांच बहिब 1/6 हिस्सा सावित्री पत्नी पृथ्वीराज, बनवारीलाल, रामकुमार पि. बुधराम पूनम पुत्री मोमनराम हर तीन बहिब जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.012 है. नहरी भूमि।
8. बहस वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी गई, बहस के [illegible] वादी के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव [illegible] जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार रायसिं[illegible] से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव, शपथ पत्र, जमाबंदी मय नजरी नक्शा वादीगण [illegible] पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश:—

अतः अंतिम डिक्री वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाके चक 4 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 68 नया 83 पुराना के मु.नं. 14 पं.नं. 151/306 की कुल 3.036 है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:—

1. ओमप्रकाश—देवीलाल—सरस्वती देवी—सावित्री देवी पुत्रियां लालचन्द, सोपारी देवी पत्नी लालचन्द्र बहिव जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.021 है. नहरी भूमि।
2. श्रवणराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.021 है. नहरी भूमि।
3. सावित्री देवी पत्नी पृथ्वीराज, बनवारीलाल, राजेशकुमार, निर्मला, कमलादेवी पिसरान पृथ्वीराज चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.021 है. नहरी भूमि।
4. काशीराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प. नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.007 है. नहरी भूमि।
5. हंसराज 0.021 है., रामकुमार 0.0075 है. पि. बुधराम पूनम पुत्री मोमनराम 0.0075 है. जाति मेघवाल साकिन देहखातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.036 है. नहरी भूमि।
6. सतपाल, हजारीराम, हनुमान पि. गोपीराम भागी देवी पत्नी गोपीराम बहिब जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.021 है. नहरी भूमि।
7. श्रवणराम 1/6 हि., काशीराम 1/6 हि. सतपाल, हजारीराम पि. गोपीराम, भागीदेवी पत्नी गोपीराम हर चार बहिब 1/6 हि, ओमप्रकाश, देवीलाल, सरस्वती देवी, सावित्री देवी पि. लालचन्द, सोपारी देवी पत्नी लालचन्द हर पांच बहिब 1/6 हिस्सा सावित्री पत्नी पृथ्वीराज, बनवारीलाल, रामकुमार पि. बुधराम पूनम पुत्री मोमनराम हर तीन बहिब जाति मेघवाल साकिन देह खातेदार चक 32 एमएल मु.नं. 5 प.नं. 129/296 कि.नं. 11/2 में 0.012 है नहरी भूमि। तदनुसार राजस्व रिकॉड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:30:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner